159

<u>विक्रय पत्र</u>

विक्रय पत्र अंकन : ***2,12,62,551.00 रूपये।***

स्टाम्प : ***14,88,500.00 रूपये।*** CHALLAN NO M-163511/04-01-2011

हम कि इन्दाज सिंह व महाराज सिंह व वेदपाल व विरेन्द्र व रणधीर उर्फ रनवीर व हरवीर उर्फ महावीर पुत्रगण **श्री बुद्धू** व **श्रीमती चन्दो पत्नी बुद्धू** निवासीगण ग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्ड्स कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्ड्स कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

इन्द्राज महाराजसिंह वेदपालसिंह वि. विरेन्द्र

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

रणधीरसिंह हरवीरसिंह नि० चन्दो

बैनामा 2,12,62,551/- फीस रजि० 122,029

उजरत 20/- योग 10,020/- शब्द लगभग 600

श्री इन्द्रराज सिंह

पुत्र श्री बुद्धू

ग्रा० नचौंदा नासराबाद प०व त० दादरी जि० गौ० बुद्ध नगर

04/01/11

4 5

[illegible]

04/01/11

3 [illegible]

ने यह [illegible]

जो [illegible] मूल्य 2,12,62,551/- रु०

प्रतिफलानुसार

श्री इन्द्रराज सिंह उर्फ इन्दर पुत्र श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री नैनपाल व विरेन्द्र व रणवीर उर्फ रनवीर व महावीर पुत्रगण श्री बुद्धू पुत्र श्री मती चन्द्रो पत्नी श्री बुद्धू निवासीगण ग्रा० नचौंदा नासराबाद प० व त० दादरी जि० गौ० बुद्ध नगर ने [illegible] ने व [illegible] मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्युनिटी सैंटर न्यू फ्रैन्डस कॉ० नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री रामचन्द्र पाठक नि० 33 कम्युनिटी सैंटर न्यू फ्रैन्डस कॉ० नई दिल्ली ने स्वीकार किया।

(2)

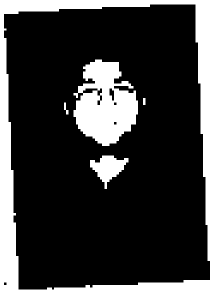

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैड़ा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 30 के खसरा नं0 88 रकबा 0.7850 हैक्टे0 का पूर्ण भाग व खाता नं0 348 के खसरा नं0 73 रकबा 0.3790 है0 व खसरा नं0 652 रकबा 0.5750 है0 कुल 2 किता रकबा 0.9540 है0 का 1/2 भाग यानि 0.4770 है0 व खाता नं0 353 के खसरा नं0 845 रकबा 0.5570 है0 में से 0.220 है0 इस प्रकार कुल रकबा 1.4820 है0 प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409 1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा हम विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/ रूपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200 रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 2,12,62,551/-- रूपये (दो करोड़ बारह लाख बासठ हजार पांच सौ इक्यावन रूपये मात्र) हम तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय हम स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(I) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

[illegible] ने [illegible]

पुत्र श्री धरम सिंह पेशा खेती

निवासी ग्राम [illegible] [illegible]

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible] पेशा खेती

निवासी उक्त

द्वारा

[illegible]

04/01/10

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबे, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि हम ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद–ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय हम न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय हम कोई दोष व त्रुटी नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबध हम हम विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक हम कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय हम पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व हम न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य हम इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगें।

(7) हम विक्रेता को विक्रय पत्र हम वर्णित उक्त खाता नं0 30 के खसरा नं0 68 रकबा 0.7850 हैक्टे0 का पूर्ण भाग व खाता नं0 348 के खसरा नं0 73 रकबा 0.3790 है0 व खसरा नं0 852 रकबा 0.5750 है0 कुल 2 किता रकबा 0.9540 है0 का 1/2 भाग यानि 0.4770 है0 व खाता नं0 353 के खसरा नं0 845 रकबा 0.5570 है0 में से 0.229 है0 इस प्रकार कुल रकबा 1.4820 है0 स्थित ग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा हमे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रहीं है। अतः हम विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी,शुद्व बुद्वि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख हम विक्रय धनराशी अंकन 2,12,62,551/ रूपये (दो करोड बारह लाख बासठ हजार पांच सौ इक्यावन रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 1,06,31,275.50–(एक करोड छ लाख इकतीस हजार दो सौ पिचहत्तर रूपये पचास पैसे मात्र) होते है के एवज

For Umad Shadka Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

लेखपालसिंह

वि०कु०सिंह

रणधीरसिंह

हरवीरसिंह

मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग हम लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहॉ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते है, हम फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि हम निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्ता आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होगें तथा क्रेता व उसके स्थानापन व

For Uppal Chadha Hi-Tech ...

Authorised Signatory

साक्षी एवं पक्षकार [illegible] चिह्न
अंगूठा नियमानुसार लिये गये है

उप निबन्धक
दादरी, गौतम बुद्ध नगर

उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ कर गवाहों की उपस्थिति हम लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 1.4820 हैक्टेयर, खाता नं0 30 के खसरा नं0 88 व खाता नं0 348 के खसरा नं0 73, 852 व खाता नं0 353 के खसरा नं0 845 स्थित ग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:–

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि0 गाजिबाद शाखा गाजियाबाद का चैक नंबर 368243 अंकन 30,37,508–(तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ आठ रूपये मात्र) व चैक नंबर ... 368245 अंकन 20,37,508–(बीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ आठ रूपये मात्र) व चैक नंबर 368244 अंकन 30,37,507–(तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ सात रूपये मात्र) व चैक नंबर 368249 अंकन 30,37,507–(तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ सात रूपये मात्र) व

चैक नंबर 367701 अंकन 30,37,507–(तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ सात रूपये मात्र) व चैक नंबर 367703 अंकन 30,37,507–(तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ सात रूपये मात्र) व चैक नंबर 367716 अंकन 30,37,507–(तीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ सात रूपये मात्र) दिनांकित 04.01.11 व अंकन 10,00,000/– रू0 नगद रूप से फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

हस्ताक्षर/
फरीक दोयम

गवाह नं0 1

गवाह नं0 2

तहरीर दिनांक : 04.01.11 मसौदाकर्ता तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट, गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

INDIA

NON JUDICIAL

Stamp duty paid in cash certificate in favour of M/s UPPAL CHADHA HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW FRIENDS COLONY, NEW DELHI

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153040

In pursuance of the order of the collector N0…memo…, dated.04.01.11 passed under Section 10-A of the stamp act.It is certified that an amount of **Rs.14,88,500-00(Inwords Rs.Fourteen lacs eighty eight thousand-five hundred only)** has been paid in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State bank of India/ Treasury/Sub treasury …**NOIDA** By Challan No…**N163511** . dated..**04.01.11** A copy of which is annexed herwwith.

04.1.2011 [illegible]

Dated

Senior Treasury Officer
Gautam Budh Nagar

नं. 868 क. 20 में शामिल किया गया।

23 DEC 2010

रोकड़िया

☆ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ☆

M/S Uppal Chadha Hi-tech Developers Pvt. Ltd. Noida

आज दिनांक 4/1/11

बही पुस्तक संख्या I खण्ड संख्या 3096

के पृष्ठ 333 से 346 पर क्रम संख्या 159

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक

BHULEKH भूलेख

<< पीछे

खाता विवरण

ग्राम का नाम :	कचैड़ा वारसाबाद	परगना :	दादरी	तहसील :	दादरी	खाता संख्या :	00030
जनपद :	गौतमबुद्ध नगर	फसली वर्ष :	1409-1414	भाग :	1		

खातेदार का नाम	संरक्षक का नाम	निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।						
इन्द्राज सिंह	बुद्ध	नि. ग्राम	88	0.7850		
महाराजसिंह	बुद्ध	नि. ग्राम				
वेदपाल	बुद्ध	नि. ग्राम				
वीरेन्द्र	बुद्ध	नि. ग्राम				
रणधीर	बुद्ध	नि. ग्राम				
महावीर	बुद्ध	नि. ग्राम				
मु.चन्द्रो बेवा	बुद्ध	नि. ग्राम				

[illegible]

[illegible]

Developed By National Informatics Centre UP State Unit Lucknow

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020116093 ग्राम का नाम : कचैड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 390030 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश उनकी संख्या तथा तिथि आदेश देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।							
00353	बुद्धू	बोरबल	नि. ग्राम	पू.1402	845	0.5570		बुद्धू मृतक का आदेश खाता सं.348 पर दर्ज है। ह.ले.12.9.01
					कुल गाटे : 1	कुल क्षे : 0.5570	24.60	

उद्धरण : तिथि

क्रमांक : 71020116093 ग्राम का नाम : कचैड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 (36130) भाग : 1

खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसकी संख्या तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2		3	4	5	6	7-12

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है।

[illegible]	बीरबल	नि. ग्राम	पू.1402	560ख	0.0190		मृतक का आदेश खाता सं.348 पर दर्ज है। ह.ले.12.9.01
अमर सिंह	काले	नि. ग्राम	पू.1402	561ख	0.0130		
सुखबीर	काले	नि. ग्राम	पू.1402	562ख	0.0570		
अजब सिंह	काले	नि. ग्राम					
मुरारी	काले	नि. ग्राम					
नब्बू	काले	नि. ग्राम					
गु.शिवदेई विधवा	तोफा	नि. ग्राम					
बुद्धू	बीरबल	नि. ग्राम					

कुल गाटे : 3 कुल क्षे : 0.0890 7.65

04 2010

पृष्ठ संख्या : Page

उद्धरण खतौनी

मांक : 71020116093 ग्राम का नाम : कचैड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

: गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 2-9-97 भाग : 1

क्रम	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका स्रोत, उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
	2			3	4	5	6	7-12
1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो :							
8	बुद्धू	बीरबल	नि. ग्राम	पू.1402	73	0.3790		आदेशानुसार श्रीमान रा.नि.द्वारा पन्क-11क/12.9.01
	जगर सिंह	काले सिंह	नि. ग्राम	पू.1402	852	0.5750		को आदेश हुआकि खाता सं.348,352,353 से मृतक
	सुखबीर सिंह	काले सिंह	नि. ग्राम					बुद्धू के स्थान पर इन्द्राज,बेंदू,महाराज सिंह,रनधीर
	अजब सिंह	काले सिंह	नि. ग्राम					हरबीर,वीरेन्द्र पुत्रगण बुद्धू व मु.चन्द्री बेवा स्व.
	मुरारी	काले सिंह	नि. ग्राम					बुद्धू ग्रामवासी के नाम वतौर वारिसान
	नवाब सिंह	काले सिंह	नि. ग्राम					दर्ज हो ह.रा.12.9.01
	बुद्धू	बीरबल	नि. ग्राम					
				कुल गाटे :	2	कुल क्षे : 0.9540	49.25	

1/2 9550 / 4770

हस्ताक्षर

(210)

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

[illegible]

दादरी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या [illegible] खसरा नम्बर [illegible] रकबा ________ स्थित ग्राम [illegible] परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ______ । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै० उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

[illegible]

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

[illegible]

छपरौली

(211)

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या [illegible] खसरा नम्बर [illegible] रकबा ________ स्थित ग्राम [illegible] परगना [illegible] व तहसील [illegible] , जिला [illegible] । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

इन्द्रराज, महाराज, नैनपाल, नरेन्द्र, रणवीर, महावीर } s/o बुद्धू

श्रीमती [illegible] w/o बुद्धू

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 444136

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... स्थान गाजियाबाद में श्री [illegible] पुत्र/पति [illegible] निवासी ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] व जिला [illegible]

प्रथम पक्ष

एवं

मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र....................

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम.............................. परगना व तहसील................ जिला......................... में स्थित भूमि खाता सं0........................ खसरा सं.......... .... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

[illegible]

3-7-2015

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं0 1 के पुस्तक सं0................... पृष्ठ..................... पर क्रम सं0 .... पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु0................/ द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक...................... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन.......................... रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि............................. दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होगें। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु.................... द्वारा चैक सं0......................... दिनांक........................ बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष   द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.